संख्या-1482/2025/938/22-2-2024-17(719)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 दिसम्बर, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र जाट पुत्र ढाल सिंह जाट, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-16469/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.04.2024), दिनांक 10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र जाट पुत्र ढाल सिंह जाट, जो ग्राम-नीम चाना, थाना-अगौता, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 08/09-07-2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती अपहरण कर प्रकाश व रनवीर नामक 02 व्यक्तियों की भूसे का बौगा में डालकर आग लगाकर हत्या कर दी तथा अधजली लाश बरामद की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1290/2007, भा0द0वि0 की धारा-147, 364/149, 302/149, 201 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-9 बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 07.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09-09-2013 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी ने दिनांक 01.08.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 05 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है तथा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 08/09.07.2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जबरदत्ती अपहरण कर प्रकाश व रनवीर नामक 02 व्यक्तियों की भूसे का बौगा में डालकर आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 47 वर्ष, 00 माह, 09 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने में सक्षम नहीं होने एवं पुन अपराध कारित करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नही किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी देवेन्द्र जाट पुत्र ढाल सिंह जाट को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र जाट (बन्दी संख्या-16214) पुत्र श्री ढाल सिंह जाट, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1482/2025/938(1)/22-2-2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1482/2025/938/22-2-2024-17(719)/2025

दिनांकः 04 दिसम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र जाट पुत्र ढाल सिंह जाट, जो ग्राम-नीम चाना, थाना-अगौता, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 08/09-07-2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती अपहरण कर प्रकाश व रनवीर नामक 02 व्यक्तियों की भूसे का बौगा में डालकर आग लगाकर हत्या कर दी तथा अधजली लाश बरामद की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1290/2007, भा0द0वि0 की धारा-147, 364/149, 302/149, 201 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-9 बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 07.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09-09-2013 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी ने दिनांक 01.08.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 05 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है तथा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 08/09.07.2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जबरदत्ती अपहरण कर प्रकाश व रनवीर नामक 02 व्यक्तियों की भूसे का बौगा में डालकर आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 47 वर्ष, 00 माह, 09 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने में सक्षम नहीं होने एवं पुन अपराध कारित करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नही किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी देवेन्द्र जाट पुत्र ढाल सिंह जाट को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।